उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्याः 13–अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2012 दिनांकः 19 मई, 2012

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतदद्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ताओं (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) को अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्थानापन्न अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर नियुक्ति हेतु स्तम्भ संख्या–4 में उल्लिखित निगम को आवंटित किया जाता हैः–

क0 सं0	नाम/ अभि0सं0/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	अधिशासी अभियन्ता के पद पर तैनाती हेतु आवण्टित निगम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री विपिन कुमार सिंह (88187) (अलीगढ़)	सहायक अभियन्ता (राजस्व), विद्युत वितरण खण्ड–II, बुलन्दशहर	अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा को आवंटित।
2	श्री धीरज सिन्हा (89059) (जौनपुर)	उप खण्ड अधिकारी–III, विद्युत नगरीय निर्माण खण्ड–III, इलाहाबाद।	अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी को आवंटित।
3	श्री आशुतोष श्रीवास्तव (89108) (बहराईच)	सहायक अभियन्ता (मीटर), विद्युत परीक्षण खण्ड, उन्नाव।	अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रबन्ध निदेशक, मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ को आवंटित।

2– उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21–3–2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3– **सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक का यह दायित्व होगा कि वे आवंटित अधिकारी की तैनाती उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।**

4– नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि प्रोन्नत अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0–5910–गोपन/पाकालि(06)–2001 दिनांक 11–6–2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

5– उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कारपोरेशन के ज्ञापांक 2900–प्रशि0–10/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ0प्र0 पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 13(1)अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, के प्रमुख निजी सचिव/अपर प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक/अधिशासी निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
2– प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल, आगरा/मध्यान्चल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमान्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
3– समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रान्समिशन का0लि0।
4– मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटर इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5– समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6– उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
7– अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ।
8– उप सचिव (गोपन)/(प्रशिक्षण), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9– सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र पाल सक्सेना)
उप सचिव